राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1700/2024

डॉ. अनुपमा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–।। एवं पंचायती राज (मेडिकल) विभाग, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय जिला जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 को इस अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया था। अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग समक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन दिनांक 17.04.2024 को निरस्त किया गया, उसके बाद अपीलार्थी ने पुनः एक अपील संख्या 1699/2024 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में लगातार जिला अस्पताल जयपुरिया, जयपुर में अक्टूबर, 2023 से कार्य कर रही है, परन्तु अपीलार्थी को अक्टूबर, 2023 से वेतन नहीं दिया गया। अतः अपीलार्थी को माह सितम्बर, 2023 से वेतन दिलाये जाने के आदेश पारित करें।
3. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट होता है कि अपीलार्थी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 के पारित होने के पश्चात इस अधिकरण के स्थगन आदेश के जारी रहते हुए अपीलार्थी लगातार कार्यरत रही है। वर्तमान में

अपीलार्थी को माह अक्टूबर, 2023 से वेतन नहीं दिया जाना उचित नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को माह अक्टूबर, 2023 से वेतन का भुगतान वर्तमान पद से अथवा किसी भी अन्य रिक्त पद से एक माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जाए।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)